विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874

(1874 का अधिनियम संख्यांक 3)[1]

[24 फरवरी, 1874]

कतिपय विवाहित स्त्रियों से सम्बन्धित विधि को
स्पष्ट और संशोधित करने के लिए तथा
अन्य प्रयोजनों के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व विवाहित स्त्रियों द्वारा मजदूरी एवं उपार्जनों का उपभोग करने, तथा उस दिन से पूर्व या उसके पश्चात् विवाहित व्यक्तियों द्वारा लिए गए जीवन बीमाओं के लिए ऐसा उपबन्ध करना समीचीन है, जो इसमें इसके पश्चात् दिया गया है ;

और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865[2] (1865 का 10) की धारा 4 द्वारा यह अधिनियमित किया गया है कि विवाह द्वारा कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति में, जिसके साथ वह विवाह करता है या करती है, कोई हित प्राप्त नहीं करेगा और न ही उसकी अपनी सम्पत्ति की बाबत कोई ऐसा कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाएगा जिसे वह उस दशा में कर सकता या कर सकती यदि वह अविवाहित होता या होती ;

और उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के कारण वे सभी स्त्रियां, जिनके विवाहों को वह लागू होता है, उनमें निहित या उनके द्वारा अर्जित सभी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी है और उनके पति अपने विवाह के कारण ऐसी सम्पत्ति में कोई हित प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु उक्त अधिनियम, विवाह से पूर्व ऐसे पतियों की पत्नियों द्वारा लिए गए ऋणों के कारण उद्भूत दायित्वों से उन पतियों की संरक्षा नहीं करता, और ऐसी पत्नियों द्वारा या उनके विरुद्ध दावों के प्रवृत्त किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं करता है ;

अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874 है ।

2. विस्तार और लागू होना—[3]**[**इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय* सम्पूर्ण भारत पर है ।**]**

किन्तु इसमें की कोई बात किसी ऐसी विवाहित स्त्री को लागू नहीं होगी, जो अपने विवाह के समय हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानती थी या जिसका पति ऐसे विवाह के समय उन धर्मों में से किसी धर्म को मानता था ।

और [4][राज्य सरकार] या तो इस अधिनियम के पारित होने से भूतलक्षी रूप से या भविष्यलक्षी रूप से, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से किसी मूलवंश, पंथ या जनजाति के या किसी मूलवंश, पंथ या जनजाति के किसी भाग के सदस्यों को, जिन पर उन उपबन्धों को लागू करना वह असंभव या असमीचीन समझे, आदेश द्वारा समय-समय पर, छूट दे सकेगी ।

[4][राज्य सरकार] ऐसे किसी आदेश को भी प्रतिसंहृत कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नहीं कि उस प्रतिसंहरण का कोई भूतलक्षी प्रभाव हो ।

इस धारा के अधीन सभी आदेश और प्रतिसंहरण राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

[5]* * * * *

3. [प्रारम्भ ।]—निरसन अधिनियम, 1876 (1876 का 12) की धारा 1 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

---

[1] अधिनियम को, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (उपांतरणों सहित) (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।

[2] अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के सुसंगत उपबंधों के प्रति निर्देश किया जा सकता है ।

[3] 1959 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 द्वारा (1-3-1960 से) पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा लागू किया गया।

[4] मूल शब्द "सपरिषद् गवर्नर जनरल" का संशोधन अनुक्रमश: 1920 के अधिनियम सं० 38, विधि अनुकूलन आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा संशोधित होकर उपरोक्त रूप से आया ।

[5] 1925 के अधिनियम सं० 39 की धारा 39 और अनुसूची 9 द्वारा अंतिम पैरा निरसित किया गया ।

www.LinkingLaws.com

2.—विवाहित स्त्रियों की मजदूरी और उपार्जन

[1]**4. विवाहित स्त्रियों के उपार्जनों का उनकी पृथक् सम्पत्ति होना**—किसी विवाहित स्त्री की मजदूरी और उसके उपार्जन, जो उसके द्वारा, न कि उसके पति द्वारा, किए गए किसी नियोजन, उपजीविका या व्यापार में, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात्, उस स्त्री द्वारा अर्जित या प्राप्त किए गए हैं,

और किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कौशल के प्रयोग द्वारा उसके द्वारा इस प्रकार अर्जित कोई धन या अन्य सम्पत्ति भी,

और ऐसी मजदूरी, ऐसे उपार्जनों और ऐसी सम्पत्ति से हुई सारी बचत और उसके विनिधान,

उसकी पृथक् सम्पत्ति समझे जाएंगे और ऐसी मजदूरी, उपार्जनों और सम्पत्ति के लिए उसकी रसीदें ही पर्याप्त उन्मोचन होंगी ।

3.—पत्नियों और पतियों के बीमे

[2]**5. विवाहित स्त्री बीमा पालिसी ले सकेगी**—कोई विवाहित स्त्री अपनी ओर से, किन्तु अपने पति से स्वतंत्र रूप से, बीमे की कोई पालिसी ले सकेगी ; और वह तथा उससे होने वाले सभी फायदे, यदि पालिसी में यह प्रत्यक्षत: अभिव्यक्त हो कि वह इस प्रकार होगा, उसकी पृथक् सम्पत्ति होगी और उस पालिसी द्वारा साक्ष्यित संविदा उसी प्रकार विधिमान्य होगी मानो वह किसी अविवाहित स्त्री के साथ की गई हो ।

[2]**6. पत्नी के फायदे के लिए पति द्वारा बीमा**—[3][(1)] किसी विवाहित पुरुष द्वारा ली गई अपनी जीवन बीमा पालिसी, जिसमें प्रत्यक्षत: यह अभिव्यक्त हो कि वह उसकी पत्नी, या उसकी पत्नी और बालकों, या उनमें से किसी के फायदे के लिए है, इस प्रकार अभिव्यक्त हित के अनुसार उसकी पत्नी या उसकी पत्नी और बालकों के या उनमें से किसी के फायदे के लिए प्रवृत्त होगी और न्यास समझी जाएगी, और जब तक कि उस न्यास का कोई उद्देश्य शेष रहता है तब तक, उस पर उसके पति या उसके लेनदारों का नियंत्रण नहीं रहेगा और न ही वह उसकी सम्पदा का भाग होगी ।

जब पालिसी द्वारा प्रतिभूत राशि संदेय हो जाए तब वह, जब तक कि उसे प्राप्त करने और रखने के लिए विशेष न्यासी सम्यक् रूप से नियुक्त नहीं कर दिए जाते तब तक, उस [4][राज्य] के, जिसमें वह कार्यालय स्थित है जहां बीमा कराया गया था, शासकीय न्यासी को दे दी जाएगी और पालिसी में अभिव्यक्त न्यासों पर या ऐसे न्यासों पर जो तत्समय विद्यमान हो उस न्यासी द्वारा प्राप्त की और रखी जाएगी ।

और ऐसी राशि के सम्बन्ध में, उसकी सभी प्रकार से वही स्थिति होगी मानो वह 1864[5] के अधिनियम संख्यांक 17 की धारा 10 की अधीन (शासकीय न्यासी का पद गठित करने के लिए) उच्च न्यायालय द्वारा उसका सम्यक् रूप से नियुक्त न्यासी हो ।

इसमें की कोई बात यह प्रभाव नहीं रखेगी कि वह बीमे की किसी ऐसी पालिसी से, जो लेनदारों को धोखा देने के इरादे से ली गई हो, प्राप्त आगमों में से किसी लेनदार को मिलने वाले धन को प्राप्त करने के उसके अधिकार को नष्ट करती है या उसमें कोई अड़चन डालती है ।

[6][(2) धारा 2 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के उपबन्ध उसमें निर्दिष्ट किसी ऐसी बीमा पालिसी को लागू होंगे, जो—

(क) किसी हिन्दू, मुस्लिम, सिख या जैन द्वारा—

(i) 1913 की दिसम्बर के इकतीसवें दिन के पश्चात् मद्रास में, अथवा

(ii) 1923 की अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात्, किसी अन्य ऐसे राज्यक्षेत्र में, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार, विवाहित स्त्री सम्पत्ति (विस्तारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 61) के प्रारंभ से ठीक पूर्व था ; अथवा

(iii) किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार विवाहित स्त्री सम्पत्ति (विस्तारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 61) के प्रारंभ को, ओर से, होता है, ऐसे प्रारंभ को या उसके पश्चात्, ली जाती है ;

(ख) किसी बौद्ध द्वारा किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में दी जाती है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार विवाहित स्त्री सम्पत्ति (विस्तारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 61) के प्रारम्भ को या उसके पश्चात् होता है :

परन्तु इसमें की कोई बात ऐसे किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी, जो—

---

[1] अब, विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1882 (विक्टोरिया 45 और 46, सी० 75) द्वारा निरसित विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1870 (विक्टोरिया 33 और 34, सी 93) की धारा 1 देखिए ।

[2] विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1870 (विक्टोरिया 33 और 34, सी० 93) की धारा 10 का पैरा 1 देखिए ।

[3] 1923 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा धारा 6 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[4] "प्रेसिडेंसी" शब्द विधि अनुकूलन आदेश, 1937, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अनुक्रमश: संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आया ।

[5] शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 (1913 का 2) के सुसंगत उपबंधों के प्रति निर्देश किया जा सकता है ।

[6] 1923 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित उपधारा (2) के स्थान पर 1959 के अधिनियम सं० 61 की धारा 3 द्वारा (1-3-1960 से) प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

(i) ऐसे किसी मामले में, जिसको खण्ड (क) का उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) लागू होता है, 1923 की अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व, अथवा

(ii) ऐसे किसी मामले में, जिसको खण्ड (क) का उपखण्ड (iii) या खण्ड (ख) लागू होता है, विवाहित स्त्री सम्पत्ति (विस्तारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 61) के प्रारंभ से पूर्व,

किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री के अधीन प्रोद्भूत या उपगत हुआ है ।

4.—विवाहित स्त्रियों द्वारा या उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियां

[1]**7. विवाहित स्त्रियां विधिक कार्यवाहियां कर सकेंगी**—कोई विवाहित स्त्री, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के, जो उक्त भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865[2] (1865 का 10) या इस अधिनियम के बल पर उसकी पृथक् सम्पत्ति है, प्रत्युद्धरण के लिए अपने नाम से वाद चला सकेगी ; और ऐसी सम्पत्ति की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अपने नाम से सिविल एवं दाण्डिक दोनों ही कार्यवाहियां वैसे ही कर सकेगी मानो वह अविवाहित हो, और ऐसी सम्पत्ति की बाबत वह ऐसे वादों, आदेशिकाओं और आदेशों के प्रति वैसे ही दायी होगी जैसे वह अविवाहित होने पर होती ।

8. विवाह के बाद के ऋणों के लिए पत्नी का दायित्व—यदि किसी विवाहित स्त्री की (चाहे वह 1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व विवाहित हो या उसके पश्चात्) कोई पृथक् सम्पत्ति है, और यदि कोई व्यक्ति उसके साथ कोई संविदा उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में या इस विश्वास पर करता है कि ऐसी संविदा से उद्भूत होने वाली उसकी बाध्यता उसकी पृथक् सम्पत्ति में से तुष्ट हो जाएगी तो वह व्यक्ति उस पर वाद लाने का और उसकी पृथक् सम्पत्ति की सीमा तक उससे उतना धन वसूल करने का हकदार होगा जितना उसने उस वाद में उस समय वसूल किया होता जब वह संविदा की तारीख को अविवाहित होती और डिक्री के निष्पादन के समय अविवाहित रहती :

[3][परन्तु इसमें की कोई भी बात,—

(क) किसी ऐसी सम्पत्ति में से, जो किसी स्त्री को या इस शर्त पर उसके फायदे के लिए अन्तरित की गई है कि अपने विवाह के दौरान उसे अथवा उसमें किसी फायदाप्रद हित को अन्तरित अथवा भारित करने की उस स्त्री को कोई शक्ति नहीं होगी, कुर्की और डिक्री द्वारा, या अन्यथा, कुछ भी वसूल करने का हक उस व्यक्ति को नहीं देगी, अथवा

(ख) अभिव्यक्ततः अथवा विवक्षिततः उसकी पत्नी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए पति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी ।]

5.—पत्नी के ऋणों के लिए पति का दायित्व

[4]**9. विवाह के पूर्व के पत्नी के ऋणों के लिए पति का दायी न होना**—1865 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन के पश्चात् विवाहित पति, केवल इसीलिए कि उसका विवाह हो गया है, विवाह के पूर्व अपनी पत्नी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए दायी नहीं होगा, किन्तु पत्नी के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा और वह ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए अपनी पृथक् सम्पत्ति की सीमा तक वैसे ही दायी होगी मानो वह अविवाहित रही होती :

परन्तुक—परन्तु इस धारा की कोई बात [5]*** किसी ऐसी संविदा को अविधिमान्य नहीं करेगी जो पति ने इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व अपनी पत्नी के विवाह के पूर्व के ऋणों के प्रतिफलस्वरूप की हो ।

[6][6.—पत्नी के न्यास-भंग या सम्पदाक्षय के लिए पति का दायित्व

10. पत्नी द्वारा न्यास-भंग या सम्पदाक्षय के लिए पति के दायित्व की सीमा—जहां कोई स्त्री, अपने विवाह से पूर्व या उसके पश्चात् कोई न्यासी, निष्पादक अथवा प्रशासक है वहां उसका पति जब तक कि वह न्यास अथवा प्रशासन के संबंध में कार्य न करता हो या दखलंदाजी न करता हो, उस स्त्री द्वारा किए गए किसी न्यास-भंग, अथवा उसके द्वारा मृतक की सम्पदा को कारित या किए गए किसी दुरुपयोजन, हानि या नुकसान के लिए, अथवा मृतक की सम्पत्ति के किसी भाग को प्राप्त करने में उस स्त्री की अपेक्षा से उस सम्पदा को हुई हानि के लिए, दायी नहीं होगा ।]

———

[1] विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1882 (विक्टोरिया 45 और 46, सी० 75) द्वारा निरसित विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, 1870 (विक्टोरिया 33 और 34 सी० 93) की धारा 11 देखिए ।

[2] अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) देखिए ।

[3] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा मूल परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1870 (विक्टोरिया 33 और 34, सी० 93) की धारा 12 देखिए ।

[5] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व संस्थापित किसी वाद को प्रभावित नहीं करेगी, न ही" शब्द निरसित किए गए ।

[6] 1927 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

www.LinkingLaws.com